भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 211

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल रोधी आपरेशनों में एसओपी का उल्लंघन

†211. श्री जी० हरि:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बड़े पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हबलबारस गांव में पुलिसकर्मियों और सीमा सुरक्षा बलकर्मियों का दस सदस्यीय दल माओवादियों के जाल में फंस गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन किए जाने के कारण माओवादी उनसे एक०के० 47 राइफलें, पिस्तौलें और मैगजीन छीनने तथा अनेक पुलिसकर्मियों को घायल करने में कामयाब हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 02.02.2015 को ग्राम हलबारस, पुलिस स्टेशन बांदे, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों (एसएफ) तथा सीपीआई (माओवादी) काडरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 02 सुरक्षा बल कार्मिकों की मौत हो गई तथा 08 अन्य घायल हो गए।

(ग) से (घ) : सीपीआई (माओवादी) काडर मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों के कब्जे से एक ए के-47 राइफल तथा एक 9एमएम पिस्तौल ले गए।

वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों की मानक परिचालन प्रक्रियाएं परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं और इन्हें वामपंथी उग्रवादियों द्वारा अपनाई गई परिवर्तनशील रणनीतियों के आधार पर नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। विभिन्न एसओपी में निहित दिशानिर्देशों का कर्तव्यनिष्ठा से पालन करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलस बल (सीएपीएफ) नियमित रूप से अपने अधिकारियों तथा जवानों को सुग्राही बनाते हैं। राज्य सरकारों/सीएपीएफ द्वारा एसओपी के संभावित उल्लंघन की घटनाओं की जांच-पड़ताल की जाती है और तदनुसार, आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा सीएपीएफ को वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने के लिए समय-समय पर परामर्शी-पत्र भी जारी करती है।

*****